# दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

**CIN:** U31200UP2003SGC027460 | **E-mail:** gstdvvnl@gmail.com | **GSTIN: 09AACCD0695D1ZS**

पत्रांक– 630 /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी दिनांक 05/07/2019

## कार्यालय ज्ञाप

एतत्द्वारा उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन के पत्रांक 08/उ0म0प्र0 (टैक्स)/जीएसटी सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 के बिन्दु 3 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 6145/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी दिनांक 28.03.2018 के अनुक्रम में, ई0एम0डी0 जब्त करने पर उत्पन्न जी0एस0टी0 की देयता के सम्बन्ध में, निगम अधीनस्थ इकाईयों को सुगमता प्रदान करने हेतु निगमहित में निम्नवत् आदेशित किया जाता है:–

1. ई0एम0डी0 को जब्त करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित इकाई/अनुभाग द्वारा जारी किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप/पत्र में जब्त की जाने वाली ई0एम0डी0 पर 18 प्रतिशत (वर्तमान दर) जी0एस0टी0 भी अधिभारित की जाये, जिसकी वसूली सम्बन्धित फर्म से करके, सरकारी कोष में जी0एस0टी0 की धनराशि जमा करायी जाये।

   चूँकि वर्तमान में ई0एम0डी0 की धनराशि केन्द्रीयकृत रूप से https://dvvnl.org के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर प्राप्त हो रही हैं, अतः उन ई0एम0डी0 को जब्त करने पर, सम्बन्धित इकाई/अनुभाग उपरोक्तानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (**'DVVNL-AO HQ PAYMENT'** Payable at Agra के नाम से) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करके, **लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)** को मूलरूप में प्रेषित करें।

2. उपरोक्तानुसार सम्बन्धित फर्म द्वारा जी0एस0टी0 की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) **7 कार्य दिवसों के अन्दर** सम्बन्धित इकाई/अनुभाग में जमा न कराने पर, जब्त की गयी धनराशि को जी0एस0टी0 सहित मानते हुये, रिवर्स कैलकुलेशन करते हुये जी0एस0टी0 की गणना की जाये व जी0एस0टी0 सरकारी कोष में जमा करायी जाये तथा **सम्बन्धित फर्म को निगम के अन्तर्गत किसी भी निविदा में प्रतिभाग हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जाये।** बाद में, फर्म से जी0एस0टी0 की राशि की वसूली एवं उस पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज व ब्याज पर भी 18 प्रतिशत (वर्तमान दर) जी0एस0टी0 की वसूली होने के उपरान्त ही फर्म पर से यह प्रतिबन्ध हटाया जाये। यह प्रतिबन्ध फर्म द्वारा निगम में जी0एस0टी0 की राशि जमा न कराये जाने के कारण अतिरिक्त रूप से है, अतः अन्य कारणों/नियम व शर्तों के अन्तर्गत सम्बन्धित फर्म पर, पूर्व में लगाये गये/लगाये जाने वाले अन्य प्रतिबन्ध/दण्ड इस आदेश से प्रभावित न होते हुये पृथक रूप से लागू रहेंगे।

निविदा आमंत्रित करने वाली समस्त इकाईयों/अनुभाग द्वारा उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/ जीएसटी/दिनांक /07/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/वाणिज्य/का0प्र0 एवं प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
4. उप महाप्रबन्धक (IPDS / RGGVY 12th Plan / DDUGJY / Saubhagya), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
6. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
8. उपविधि अधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
10. समस्त लेखा अधिकारिक/अधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0।

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक



Scanned by CamScanner